न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 60/2018 (राजसमन्द डिक्री)

1. तलोक पिता जयकिशन जी सुथार, निवासी मोयणा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. रामलाल पिता जयकिशन जी सुथार, निवासी मोयणा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
3. मोहनलाल पिता जयकिशन जी सुथार, निवासी मोयणा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. कुन्दनमल पिता मनरूप जी सुथार, निवासी वगतपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती हगामी देवी पत्नी मनरूप जी सुथार, निवासी वगतपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
3. बाबूलाल पिता मनरूप जी सुथार, निवासी वगतपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
4. शान्तिलाल पिता मांगीलाल जी सुथार, निवासी वगतपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती लेहरी देवी पत्नी हगामीलाल जी सुथार, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
6. श्रीमती सुखी देवी पत्नी देवीलाल जी सुथार मृतक के बजाय :–

6/1. किशनलाल माता सुखी देवी पत्नी देवीलाल जी सुथार, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

6/2. धनराज माता सुखी देवी पत्नी देवीलाल जी सुथार, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

6/3. देवीलाल पति सुखी देवी सुथार, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

6/4. श्रीमती सीता देवी माता सुखी देवी पत्नी देवीलाल जी सुथार, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

6/5. श्रीमती भावना माता सुखी देवी पत्नी देवीलाल जी सुथार, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

7. माधु पिता मांगीलाल जी सुथार, निवासी वगतपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:05 IST
Reason: SelfAttested

8. श्रीमती लक्ष्मी देवी पिता मांगीलाल जी सुथार, निवासी वगतपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
9. श्रीमती मीरा पत्नी मांगीलाल जी सुथार, निवासी वगतपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
10. मोहनलाल पिता गिरधारीलाल जी सुथार मृतक के बजाय :–

10/1. श्रीमती श्रवणी बाई बेवा मोहनलाल जी सुथार, निवासी कवास का गुड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

10/1. श्रीमती सुखी बाई पुत्री मोहनलाल जी सुथार, निवासी कवास का गुड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

11. शंकरलाल पिता गिरधारीलाल जी सुथार, निवासी कवास का गुड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
12. गोवर्धन पिता गिरधारीलाल जी सुथार, निवासी कवास का गुड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
13. गजानन्द पिता गिरधारीलाल जी सुथार, निवासी कवास का गुड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
14. कस्तूर पिता नारू पिता गिरधारीलाल जी सुथार, निवासी वगतपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
15. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ दिनांक
27.07.2018 प्रकरण संख्या 6/2010

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण

———::———

निर्णय **दिनांक 30–10–2023**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 के पिता मनरूप ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88–99, 53–54, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य होकर मूल पुरूष वरदा जी थे, जिसके तीन पुत्र नारू, मनरूव व जयकिशन हुए। नारू फोत हो चुका है, जिसका पुत्र कस्तुर प्रतिवादी संख्या 4, मनरूप वादी एवं जयकिशन फोत होकर उसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 त्रिलोक, रामलाल व मोहनलाल है। मनरूप व कस्तूर ग्राम वागपुरा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:05 IST
Reason: SelfAttested

रहते हैं, जबकि जयकिशन शुरू से मोयणा में रहते थे। ग्राम वगतपुरा की खाता संख्या 6 की आराजी नंबर 88, 89, 90, 93, 94, 95, 91 शा.नं. 92 व 96 कुल किता 8 रकबा 48 बीघा 9 बिस्वा एवं ग्राम मोयणा की खाता संख्या 24 की आराजी नंबर 33, 34, 61 से 64, 66, 67, 70, 88, 90, 194, 217 से 219 व 225 कुल किता 14 रकबा 49 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त दोनों खातों की आराजियात में वादी का 1/3 व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/3 व प्रतिवादी संख्या 4 का 1/3 हिस्सा है। नारू, मनरूप व जयकिशन ने अपने जीवनकाल में पारिवारिक समझौता कर वगतपुरा की भूमि नारू व मनरूप के रखी तथा मोयणा की भूमि का अधिकतर भाग जयकिशन के हिस्से में रखते हुए कुछ हिस्सा मनरूप व कुछ हिस्सा नारू के रखा गया। तीनों भाईयों के जो भूमियां रखी गयी उनका विवरण वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुंसार है, किन्तु राजस्व रेकार्ड में सभी भूमियां तीनों भाईयों के 1/3, 1/3 हिस्से से अंकित रह गयी। दोनों गांवों की भूमियों में प्रत्येक के हिस्से में 33–33 बीघा भूमि आती है। इसके बावजूद आपसी राजीनामे के आधार पर जयकिशन को 38 बीघा 6 बिस्वा भूमि दी गयी और पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज हो गये। वगतपुरा की भूमियों में सिर्फ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा एवं कब्जा है अन्य प्रतिवादीगण का उससे कोई संबंध नहीं है, किन्तु जयकिशन की मृत्यु के बाद उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 स 3 का नाम अंकित हो जाने से उसका नाजायज फायदा उठाकर वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते हैं। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 2 ''अ'' में वर्णित आराजियात में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 काबिज काश्तकार होने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें तथा ग्राम वगतपुरा की आराजियात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 के मध्य 1/2, 1/2 हिस्से से किया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27–07–2018 से वादी का वाद स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 15–10–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश तलेसरा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:05 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 पर बहस करते हुए बताया कि पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 23–08–2018 के लिए नियत थी, किन्तु उक्त दिनांक को मिसल निकली ही नहीं तथा बाद में कर्मचारी हड़ताल पर चले गये। हड़ताल खत्म होने पर प्रकरण में दिनांक 27–08–20018 को अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का पता चला एवं उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2018 (1) पेज 601 (SC), आर.आर.टी. 2011 (1) पेज 602 (SC), आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1104 प्रस्तुत की।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर हुई बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों की रोशनी में एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध कभी भी एकतरफा कार्यवाही नहीं की गयी, फिर भी अपनी आदेशिका में एकतरफा कार्यवाही का वर्णन कर दिया, जो गलत है। दौराने वाद कार्यवाही मांगीलाल व श्रीमती टमूदेवी की मृत्यु हो गयी, जिसके कायम मुकाम कराये बिना मरे हुए व्यक्तियों के खिलाफ डिक्री जारी कर दी। वादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है एवं न ही किसी दस्तावेज को प्रदर्श करवाया गया है। अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जिससे अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष नहीं रख सके। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों की अनदेखी करते हुए नियत पेशी दिनांक से पूर्व ही अपीलान्ट को बिना सुने निर्णय पारित कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा पुनः न्याय संगत फैसला करने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड जावे। इस संबंध में न्यायिक नजीर आर.एल.डब्ल्यू. 2005 (1) पेज 131 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:05 IST
Reason: SelfAttested

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में अंकित किया है कि ''वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्व के समझौता व पारिवारिक बंटवारानामा एवं संयुक्त हिन्दु कुटुम्ब बंटवारानामा की लिखापढ़ी चोपनिया संवत् 2009 की आषाढ सुदी बीज का जगकिशन द्वारा लिखा गया है। ग्राम वगतपुरा की जमीन नारू व मनरूप के आधा आधा हिस्सा रहने का अवलोकन किया गया। यह निर्विवादित तथ्य है कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही दादा की संतान हैं एवं राजस्व रिकार्ड में वरदा पिता रूपा जी खाती के मेवाड़ सेटलमेन्ट के समय से ही ग्राम वगतपुरा की कुल 48 बीघा 9 बिस्वा भूमि व ग्राम मोयणा की 49 बीघा 15 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड थी। अर्थात श्री वरदा पिता रूपा जी सुथार के नाम कुलिया 98 बीघा 4 बिस्वा भूमि बनती है, जिसमें से वरदा के वारिसान वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4 का 1/3 हिस्सा होता है। पारिवारिक समझौते से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने ग्राम मोयणा की 38 बीघा 6 बिस्वा भूमि अपने नाम दर्ज रेकार्ड करा दी है इस हिसाब से ग्राम वगतपुरा की भूमि में जो 48 बीघा 9 बिस्वा है, उसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज किया जाना सही है। साथ ही ग्राम मोयणा की आराजी नंबर 225/1 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 4 के नाम संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से में है।'' उक्त आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद डिक्री किया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध पारिवारिक समझौता जो मूल पुरूष वरदा की तीनों पुत्र नारू, मनरूप व अपीलान्टगण के पिता जयकिशन के मध्य हुआ है, उसके अनुसार प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस संबंध में जो न्यायिक नजीर वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी है, उसके तथ्य वर्तमान प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–07–2018 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 30–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:05 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

तलोक पिता जयकिशन सुथार, निवासी मोयणा, तह0 देवगढ़, जिला राजसमन्द व अन्य बनाम **कुन्दनमल पिता मनरूप सुथार, निवासी वगतपुरा, तह. देवगढ़, जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**60 / 2018**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी .....**
.....**देवगढ़**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**27**.....माह.....**07**.....**2018**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**30**.....माह.....**10**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री संजय बोहरा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री मुकेश तलेसरा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–07–2018 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....)..... रूपये ..... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**30**.....माह.....**10**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:05 IST
Reason: SelfAttested